[2021] 12 एस. सी. आर. 195

ए. मंजू

बनाम

प्रज्जवल रेवन्ना @प्रज्जवल आर एंड ओआरएस

(2020 की सिविल अपील संख्या 1774)

13 दिसंबर, 2021

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे.]

चुनाव संचालन नियम, 1961 - r.94A-जमा न करना

फॉर्म 25-भ्रष्टाचार के आरोपों वाली चुनाव याचिका

यह व्यवहार करता है कि क्या चुनाव याचिका को निर्वाचित उम्मीदवार के अनुरोध पर सीमा से बाहर फेंक दिया जा सकता है कि याचिका नहीं है

प्रपत्र 25 में एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित-आयोजित: प्रस्तुत न करना

फॉर्म 25 से चुनाव याचिका खारिज नहीं होगी।

तथ्यों पर, चुनाव याचिका को देखते हुए, प्रार्थना खंड है

सत्यापन के बाद-चुनाव याचिका के समर्थन में एक सत्यापन हलफनामा भी है-इस प्रकार, वास्तव में यह कहना उचित नहीं होगा कि याचिका के समर्थन में कोई हलफनामा नहीं है।

यद्यपि प्रपत्र 25 में नहीं है-यह एक उपचार योग्य दोष है और न्यायाधीश

चुनाव याचिका का प्रयास करने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए था

याचिका के समर्थन में एक हलफनामा दायर करने के लिए चुनाव याचिकाकर्ता

के साथ दायर पहले से मौजूद हलफनामे के अलावा फॉर्म 25 में चुनाव याचिका-एक बार शपथ पत्र होने के बाद, हालांकि फॉर्म में नहीं

25 , उपयुक्त तरीका यह होगा कि एक शपथ पत्र की अनुमति दी जाए

प्रपत्र 25 में दाखिल किया गया-याचिका एक सीमा चरण में है-ऐसा नहीं है कि चुनाव याचिकाकर्ता होने पर भी दोष को ठीक करने में विफल रहा है।

इस प्रकार इंगित किया गया-यह ऐसा मामला नहीं है जहां शपथ पत्र दाखिल किया जाता है

अब फॉर्म 25 में अलंकरण का अवसर दिया जाएगा जैसा कि है

निर्वाचित उम्मीदवार चुनाव की ओर से आग्रह करने की मांग की गई

याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में सहायक सामग्री के साथ मामले को स्पष्ट रूप से और अनिश्चित शब्दों में कहा है कि क्या

निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा उल्लंघन किया जाता है या नहीं, यह एक मामला होगा। मुकदमे का लेकिन निश्चित रूप से एक मामला नहीं है जिसे सीमा पर बंद किया जाना है

-

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 - धारा 86 (1) चुनाव कानून।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1 . अपीलार्थी द्वारा ली गई प्राथमिक याचिका काफी हद तक है

कि चुनावों में सफलता सामग्री को छिपाकर प्राप्त की गई थी, जो मतदाताओं की राय निर्धारित करने में प्रभावी होती। वास्तव में, यदि ऐसी सामग्री मतदाताओं के पास उपलब्ध होती, तो उन्होंने इसके आधार पर एक और विकल्प का प्रयोग किया होता। हालाँकि, चुनाव याचिका में पूरी की जाने वाली आवश्यकताएँ तकनीकी प्रकृति की हो सकती हैं, लेकिन वे अति-तकनीकी नहीं हैं। सूचकांक और सारांश के गैर-हस्ताक्षर और सत्यापन के बारे में अति-तकनीकी दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। [पारस 19 और 20] [207-ए-सी]

2. चुनाव याचिका पर समग्र रूप से विचार करते हुए उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि

अपीलार्थी के आरोप केवल आर. पी. अधिनियम की धारा 33ए तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इसके दायरे में बड़े थे क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के नामांकन का अनुचित प्रभाव और अनुचित स्वीकृति को भी आर. पी. अधिनियम की धारा 123 और 100 के तहत जनादेश का उल्लंघन बताया गया था। प्रपत्र 25 जमा न करने से चुनाव याचिका खारिज नहीं होगी। चुनाव याचिका में, प्रार्थना खंड के बाद सत्यापन किया जाता है। चुनाव याचिका के समर्थन में एक सत्यापन हलफनामा भी है। इस प्रकार, वास्तव में यह कहना उचित नहीं होगा कि याचिका के समर्थन में कोई हलफनामा नहीं है, हालांकि फॉर्म 25 में नहीं है।

यह एक उपचारी दोष था और चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को अपीलार्थी को चुनाव याचिका के साथ दायर पहले से मौजूद हलफनामे के अलावा फॉर्म 25 में याचिका के समर्थन में एक हलफनामा दायर करने का अवसर देना चाहिए था। [पैरा 22,23] [207-एफ-जी; 208-बी-डी]

मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम। रूप सिंह

राठौर एयर 1964 एससी 1545: [1964] 3 एससीआर 573--पीछा किया।

पोन्नला लक्ष्मैया बनाम। कोम्मुरी प्रताप रेड्डी और अन्य। ए. आई. आर. 2012 एससी 2638; जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार (2013) 4 एससीसी 776: [2013] 4 एस. सी. आर. 1107-पर निर्भर।

शरीफ-उद-दीन बनाम। अब्दुल गनी लोन (1980) 1 एस. सी. सी. 403: [1980] 1 एससीआर 1177; बी. आर. पाटिल बनाम राजीव चंद्रशेखर और अन्य। आई. एल. आर. 2007 कर 317; पुरुषोत्तम बनाम।

लौटाना ए. मंजू बनाम। प्रज्जवल रेवन्ना @प्रज्जवल आर एंड ओआरएस

अधिकारी, अमरावती और अन्य। ए. आई. आर. 1992 बम 227; चौ.

ओआरएस। ए. आई. आर. 1964 एससी 1027: [1964] 6 एस. सी. आर. 212; कृष्णमूर्ति बनाम। शिवकुमार और ओआरएस। (2015) 3 एससीसी

467 : [2015] 4 एससीआर 987; एच. डी. रेवन्ना बनाम जी. पुट्टास्वामी

गौड़ा और ओआरएस। ए. आई. आर. 1999 एससी 768: [1999] 1 एससीआर 198;

टी. फुंगजाथांग बनाम। हांगखानलियन और ओआरएस। (2001) 8 एससीसी 358 [2001] 2 पूरक। एस. सी. आर. 256; रविंदर सिंह बनाम

जन्मेजा सिंह और अन्य। (2000) 8 एससीसी 191: [2000] 3

पूरक। एस. सी. आर. 331-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1980] 1 एससीआर 1177

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[1964] 6 एस. सी. आर. 212

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[2015] 4 एससीआर 987

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

[1999] 1 एससीआर 198

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[2001] 2 पूरक। एससीआर 256

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

आकाशवाणी 2012 एससी 2638

पैरा 11

[2013] 4 एससीआर 1107

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[2000] 3 पूरक। एससीआर 331

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1964] 3 एससीआर 573

पैरा 22

पीछा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.1774

2020 .

उच्च न्यायालय के 17.01.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के ई. पी. संख्या 1 में बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा।

सुश्री किरण सूरी, सुश्री प्रमीला नेसरगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अशोक बन्निदिन्नी,

एम. आर. विजय कुमार, सुनील एम. वी., बालाजी श्रीनिवासन, मोहम्मद शाहरुख, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एस. गुरुकृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , के. परमेश्वर, सुश्री ए.

श्रीगुरुप्रिया, प्रसाद हेगड़े, सुश्री ई. आर. सुमथी, मल्लिकार्जुन एस. माइलर, सुश्री स्पंदना रेड्डी, निशांत भारद्वाज, डी. एल. चिदानंद, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

[2021] 12

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संजय किशन कौल, जे।

तथ्य:

1. वर्तमान अपील में विचार के लिए मुख्य बिंदु यह है कि क्या चुनाव याचिका को किसी याचिका पर सीमा से बाहर फेंका जा सकता है।

प्रत्यर्थी/निर्वाचित उम्मीदवार कि याचिका फॉर्म 25 में एक हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं है, जैसा कि चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 94 ए के तहत निर्धारित किया गया है, भले ही याचिका भ्रष्ट प्रथाओं के आरोपों पर आधारित हो।

2. अपीलार्थी 2019 में 16 हसन (सामान्य) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (संक्षिप्त 'निर्वाचन क्षेत्र' के लिए) से उम्मीदवार थे।

चुनाव और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 को जनता दल सेक्युलर पार्टी द्वारा प्रायोजित किया गया था और वह निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार भी थे। उत्तरदाता सं। 2 6 को स्थानीय/क्षेत्रीय दलों द्वारा प्रायोजित किया गया था, लेकिन जैसा कि चुनावों से पता चला है, वे वास्तविक रूप से गंभीर प्रतियोगी नहीं थे। भारत के चुनाव आयोग ने उस निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के लिए 12.01.2019 पर एक अधिसूचना जारी की, जहां

18.04.2019 पर चुनाव हुए थे। अपीलार्थी ने 5,35,282 वोट प्राप्त किए जबकि प्रत्यर्थी नं। 1 सुरक्षित 6,76,606 वोट। अन्य उत्तरदाताओं को केवल मामूली मत प्राप्त हुए।

वोट करें। 3. अपीलार्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के तहत एक चुनाव याचिका दायर की।

' आर. पी. अधिनियम ') 26.06.2019 पर प्रतिवादी नं. 1 . अपीलार्थी ने एक घोषणा की मांग की कि प्रत्यर्थी नहीं। 1'उत्तरदाता नं. 1 के कारण चुनाव को अमान्य घोषित किया जा सकता था। 1 गलत शपथ पत्र दाखिल करने के बाद और परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के कारण विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। इस याचिका का प्रतिवादी नं. 1 उस सीमा पर जिसने संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन दायर किया

सिविल प्रक्रिया, 1908 (इसके बाद 'उक्त संहिता' के रूप में संदर्भित) और आर. पी. अधिनियम की धारा 86 (1), जिसमें आर. पी. अधिनियम की धारा 81 (3) और धारा 83 (1) के प्रावधान का पालन न करने के कारण चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। 4. पक्षों के लिए विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, आर. पी. अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को निकालना उचित होगा। आर. पी. अधिनियम के भाग VI के तहत अध्याय II मंजू बनाम से संबंधित है।

प्रज्जवल रेवन्ना @प्रज्जवल आर एंड ओआरएस [संजय किशन कौल, जे.]

उच्च न्यायालय में चुनाव याचिकाओं को प्रस्तुत करना। द.याचिकाओं का निपटान आर. पी. अधिनियम की धारा 81 के अनुसार होना चाहिए। द.

चुनाव याचिका के अंश धारा 83 में दिए गए हैं। प्रासंगिक

सायन नीचे के रूप में पढ़े जाते हैं:

" 81. याचिकाओं की प्रस्तुति।

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

याचिका में उल्लिखित उत्तरदाताओं के रूप में उनकी प्रतियां, और ऐसी प्रत्येक प्रति याचिकाकर्ता द्वारा उसके अधीन सत्यापित की जाएगी।

याचिका की सही प्रति होने के लिए अपने हस्ताक्षर।] ”

.....

" [83. याचिका की सामग्री। — (1) एक चुनाव याचिका

(क) इसमें उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है;

(ख) किसी भी भ्रष्ट प्रथा का पूरा विवरण देगा कि -

याचिकाकर्ता का आरोप है, जिसमें जितना संभव हो उतना पूरा बयान शामिल है

जिन दलों पर इस तरह के भ्रष्टाचार का आरोप है, उनके नाम

अभ्यास और प्रत्येक के आयोग की तारीख और स्थान

अभ्यास; और

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)

अभिवचनों का सत्यापन:

[बशर्ते कि जहां याचिकाकर्ता किसी भी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है,

याचिका के साथ एक शपथ पत्र भी होगा इस तरह के भ्रष्ट आचरण के आरोप के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र

और उसके विवरण।]

(2) याचिका की किसी भी अनुसूची या अनुलग्नक पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। याचिकाकर्ता द्वारा और याचिका के समान ही सत्यापित किया गया।] "

आर. पी. अधिनियम के भाग VI के तहत अध्याय III चुनाव के मुकदमे से संबंधित है

ओएनएस। धारा 86 के सुसंगत भाग को निम्नानुसार निकाला गया है:

" [86. चुनाव याचिकाओं का परीक्षण। (1) उच्च न्यायालय करेगा एक चुनाव याचिका को खारिज करें जो इसका पालन नहीं करती है

धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधान। [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 की प्रस्तुतियाँ:

5. उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, हम पहले यह निर्धारित करते हैं

प्रत्यर्थी की दलीलें सं। 1 जिसे उसने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन में उठाया था और जिसके आधार पर चुनाव याचिका को सीमा पर खारिज करने की मांग की गई थी। संक्षेप में शिकायत नीचे दी गई है:

जमीनी स्तर पर आर. पी. अधिनियम की धारा 81 (3) का गैर-अनुपालन

(अ)

कि चुनाव याचिका को अपीलार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत सही प्रति के रूप में सत्यापित नहीं किया गया था। उत्तरदाता नं. 1 इस तरह के अनुपालन की अनिवार्य प्रकृति पर भरोसा करने की कोशिश की गई जैसा कि शरीफ-उद-दीन v में उल्लिखित है। अब्दुल गनी लोन 1 और गैर-अनुपालन का परिणाम आर. पी. अधिनियम की धारा 86 के तहत चुनाव याचिका की अस्वीकृति थी। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि याचिकाकर्ता पूरा काम करे।

इसकी सामग्री की जिम्मेदारी और फिर प्रत्यर्थी को याचिका की एक सही और सटीक प्रति प्राप्त होती है।

उत्तरदाता नं. 1 आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने

(ख)

चुनाव याचिका में उनके खिलाफ आरोप जो "भ्रष्ट आचरण" का आरोप होगा। आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) के प्रावधान में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के सभी आरोपों के साथ आरोपों के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में एक हलफनामा होना चाहिए। हलफनामे का रूप चुनाव संचालन नियम, 1962 की धारा 94 ए के अधिदेश के अनुसार फॉर्म 25 में दिया गया है।

(इसके बाद 'चुनाव नियम' के रूप में संदर्भित)। इस तरह के हलफनामे को दाखिल करने की अनिवार्य आवश्यकता बी. आर. पाटिल बनाम में टिप्पणियों का हिस्सा है। राजीव

कर्नाटक उच्च न्यायालय के चंद्रशेखर और Ors.2 और पुरुषोत्तम वी। निर्वाचन अधिकारी, अमरावती और बॉम्बे उच्च न्यायालय के Ors.[3]।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ:

6. दूसरी ओर, अपीलार्थी ने इस आवेदन को चुनौती देने की मांग की

प्रतिवादी सं. द्वारा दाखिल किया गया। 1. यह आग्रह किया गया था कि अपीलार्थी ने किसी भी मामले में अपने हस्ताक्षर अंकित करके धारा 81 (3) का काफी हद तक पालन किया था और

1 (1980) 1 एस. सी. सी. 403

2 आई. एल. आर. 2007 कर 317

3 एयर 1992 बम 227 ए. मंजू बनाम।

प्रज्जवल रेवन्ना @प्रज्जवल आर एंड ओआरएस [संजय किशन कौल, जे.]

प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रस्तुत प्रतियों सहित चुनाव याचिका के प्रत्येक पृष्ठ का विधिवत सत्यापन करना। इसके अलावा, याचिका के सूचकांक और सारांश को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे अपने विवरण से चुनाव याचिका का हिस्सा नहीं थे। किसी भी मामले में इसे आर. पी. अधिनियम की धारा 81 (3) के संदर्भ में पर्याप्त अनुपालन कहा गया था, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियों के आलोक में एक चुनाव याचिका को स्वीकार करने की आवश्यकता थी: च. में उच्चतम न्यायालय। सुब्बाराव बनाम। सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण, हैदराबाद और Ors.4

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दूसरी याचिका पर, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रपत्र 25 दाखिल करने का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब

की धारा 123 द्वारा परिभाषित भ्रष्ट आचरण के कोई आरोप हैं आर. पी. अधिनियम। अपीलार्थी ने दलील दी कि चुनाव याचिका वास्तव में 2002 के अधिनियम 72 द्वारा अंत:स्थापित आर. पी. अधिनियम की धारा 33ए के दायरे में आती है, जिसमें एक उम्मीदवार द्वारा कुछ जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। आर. पी. अधिनियम की धारा 33ए निम्नानुसार है:

" 33ए. सूचना का अधिकार।

(1) एक उम्मीदवार, किसी भी जानकारी के अलावा जो वह है इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए अपने नामांकन पत्र में यह भी जानकारी देना आवश्यक है कि क्या

(i) उस पर किसी लंबित मामले में दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध का आरोप है जिसमें सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा आरोप तय किया गया है;

((ii) वह किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है [उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के अलावा, या धारा 8 की उप-धारा (3) में शामिल] और उसे एक वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है।

(2) उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक, जैसा भी मामला हो,

निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र देने का समय धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत, उसे एक शपथ पत्र भी दें।

उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ लेते हुए

उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी।

(3) निर्वाचन अधिकारी, जितनी जल्दी हो सके,

उप-धारा (1) के तहत उसे जानकारी प्रदान करना, दिए गए शपथ पत्र की एक प्रति चिपकाकर उपरोक्त जानकारी प्रदर्शित करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नामांकन पत्र दिया जाता है "। चुनाव याचिका में आरोप सूचना के दमन से संबंधित था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ आर. पी. अधिनियम की धारा 123 का आरोप नहीं लगाया और पैरा 32 में किए गए भ्रष्ट आचरण का विशिष्ट दावा केवल कृष्णमूर्ति बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों की ओर इशारा कर रहा था। शिवकुमार और Ors.[3] का मानना है कि संपत्ति और आय का खुलासा न करना भ्रष्ट व्यवहार के बराबर है।

उच्च न्यायालय का निर्णय:

8. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी

प्रत्यर्थी सं. द्वारा दायर आवेदन। 1 दिनांकित 17.01.2020 के विवादित निर्णय द्वारा। विद्वान न्यायाधीश ने उन परिस्थितियों का विश्लेषण किया जिनके तहत एच. डी. रेवन्ना बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करके चुनाव याचिका को खारिज किया जा सकता है। जी. पुट्टास्वामी

गौड़ा और ओआरएस "। और टी. फुंगजाथांग बनाम। हांगखानलियन और Ors.7 ने केवल दो परिस्थितियों को निर्धारित किया जिसमें याचिका हो सकती है

सीमा में बर्खास्त: (i) आर. पी. अधिनियम की धारा 81,82 और 117 का गैर-अनुपालन; और (ii) धारा 83 का गैर-अनुपालन केवल तभी जब मामला उक्त संहिता के आदेश VI नियम 16 या आदेश VII नियम 11 के दायरे में आता है।

9. अग्रिम याचिकाओं के संदर्भ में, यह राय दी गई थी कि आर. पी. अधिनियम की धारा 81 (3) का पर्याप्त अनुपालन एक चुनाव याचिका को खारिज करने से बचाता है। हम यहाँ यह जोड़ सकते हैं कि यहाँ एकमात्र मुद्दा सूचकांक और सारांश के बारे में था जिस पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। दिए गए तथ्यों में, अपीलार्थी ने अपनी चुनाव याचिका को सत्यापित किया था

यह पुष्टि करते हुए कि यह चुनाव याचिका की सही प्रति थी और इसलिए इसने आवश्यकताओं का काफी हद तक पालन किया था।

10. उच्च न्यायालय द्वारा अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे की जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के खिलाफ एक प्रतिकूल आदेश की आवश्यकता थी। प्रपत्र 25 जमा करना। प्रत्यर्थी सं। 1 कि प्रपत्र 25 दाखिल करना तभी उत्पन्न होगा जब आर. पी. अधिनियम की धारा 123 से संबंधित चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों को विद्वानों द्वारा खारिज कर दिया गया हो।

5 (2015) 3 एस. सी. सी. 467

6 आकाशवाणी 1999 एससी 768 7 (2001) 8 एस. सी. सी. 358 ए. मंजू बनाम

प्रज्जवल रेवन्ना @प्रज्जवल आर एंड ओआरएस [संजय किशन कौल, जे.]

एकल न्यायाधीश। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि आर. पी. अधिनियम की धारा 83 के प्रावधान में "किसी भी भ्रष्ट प्रथा" वाक्यांश का उपयोग शामिल है।

आर. पी. अधिनियम के तहत परिकल्पित हर तरह के भ्रष्ट आचरण के आरोप। किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय का विचार था कि अपीलार्थी ने आर. पी. अधिनियम की धारा 123 और 100 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के नामांकन के अनुचित प्रभाव और अनुचित स्वीकृति का आरोप लगाया था। तदनुसार, अपीलार्थी का यह निवेदन कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ आरोप केवल आर. पी. अधिनियम की धारा 33 ए तक ही सीमित थे, खारिज किए जाने योग्य था।

11. इसके बाद उच्च न्यायालय ने जांच शुरू की

प्रपत्र 25 जमा न करने के परिणाम और राय दी कि पोन्नला लक्ष्मैया बनाम में निर्धारित उक्ति को ध्यान में रखते हुए। कोम्मुरी प्रताप रेड्डी और ओआरएस। , निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में शपथ पत्र या शपथ पत्र की अनुपस्थिति स्वयं चुनाव याचिकाकर्ता के लिए पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनेगी जब तक कि कमी ठीक हो गई थी। हालांकि, इस मामले में अपीलार्थी ने कोई हलफनामा दायर नहीं किया था। इस प्रकार, पोन्नला लक्ष्मैया का मामला अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आएगा। हालांकि, तथ्यों पर एक करीबी मामला जी. एम. का होगा। सिद्धेश्वर बनाम. प्रसन्ना

कुमार 1 0 जहाँ तीन न्यायाधीशों की पीठ ने तीन सिद्धांतों की गणना की: ((i)

आर. पी. अधिनियम की धारा 83 के पूर्ण गैर-अनुपालन का अर्थ है कि किसी याचिका को चुनाव याचिका के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और इसे सीमा पर खारिज किया जाना चाहिए; (ii) यदि दोषों का इलाज किया जा सकता है, तो याचिका को संक्षेप में खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर. पी. अधिनियम की धारा 86 ने केवल इसके लिए बर्खास्तगी को मंजूरी दी है।

आर. पी. अधिनियम की धारा 81,82 और 117 का अनुपालन न करना और (3) दोषों की गंभीरता का निर्धारण करना होगा। प्रत्येक मामले के तथ्य, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या धारा 83 के एक अभिन्न भाग का पालन नहीं किया गया था या नहीं। उच्च न्यायालय ने राय दी कि फॉर्म 25 चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग था और इसकी पूर्ण अनुपस्थिति का मतलब यह होगा कि आर. पी. अधिनियम की धारा 83 का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार, चुनाव याचिका को विचारणीय नहीं माना गया।

12. उपरोक्त निष्कर्ष के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष तर्कों का दायरा संकीर्ण हो गया।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की दलीलें:

13. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह तर्क देना चाहा कि चुनाव याचिका में आधार धारा 100 (1) (डी) (आई) के लिए विशिष्ट थे और

8 आकाशवाणी 2012 एससी 2638 9 (ऊपर)

10 (2013) 4 एससीसी 776 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((iv) आर. पी. अधिनियम। आर. पी. अधिनियम की धारा 100 (1) निम्नानुसार है:

" 100. चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए आधार। –

[(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यदि [उच्च न्यायालय] की राय है।

(अ)

कि उनके चुनाव की तारीख को एक लौटा हुआ उम्मीदवार था योग्य नहीं था, या अयोग्य था, भरने के लिए चुना जाना था

संविधान या इस अधिनियम [या केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20)] के तहत सीट; या

कि कोई भी भ्रष्ट प्रथा एक वापसी द्वारा की गई है

(ख)

उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वापस लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से;

या

कि कोई नामांकन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है; या

((ग)

कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक इसका संबंध है

((घ)

लौटे उम्मीदवार, भौतिक रूप से प्रभावित हुए हैं

((i)

अनुचित स्वीकृति या किसी नामांकन द्वारा, या

के हितों में किए गए किसी भी भ्रष्ट अभ्यास द्वारा

((ख)

लौटाया गया उम्मीदवार [अपने चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा], या

((ग) किसी भी मत का अनुचित स्वागत, अस्वीकार या अस्वीकृति या किसी भी मत का स्वागत जो शून्य है, या

((iv) के प्रावधानों के किसी भी गैर-अनुपालन द्वारा

संविधान या इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश,

[उच्च न्यायालय] वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करेगा।] "

14. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया था कि आरोप से संबंधित हैं

नामांकन की अनुचित स्वीकृति और वैधानिक प्रावधानों का गैर-अनुपालन। भ्रष्टाचार के आरोप आर. पी. अधिनियम की धारा 123 और धारा 100 (1) (डी) (2) में निहित हैं और चुनाव याचिका इनमें से किसी भी प्रावधान से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, प्रस्तुत करना

फॉर्म 25 की आवश्यकता नहीं थी।

15. आर. पी. अधिनियम की धारा 83 का उल्लेख करते हुए यह आग्रह किया गया कि ए. मंजू बनाम के संदर्भ में अभिवचनों पर हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाए।

प्रज्जवल रेवन्ना @प्रज्जवल आर एंड ओआरएस [संजय किशन कौल, जे.]

आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) (सी) का यदि पालन नहीं किया जाता है, तो यह घातक नहीं हो सकता है और जिन परिस्थितियों में आर. पी. अधिनियम की धारा 86 (1) के संदर्भ में एक याचिका को सीमा से बाहर फेंक दिया जा सकता है, वे केवल गैर-अनुपालन थे

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81,82 और 117। पोन्नाला में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए इस मुद्दे को एकीकृत नहीं करने का आग्रह किया गया था

लक्ष्मैया 1 1 मामला, जिसमें इस न्यायालय ने अति-तकनीकी आधारों पर सीमा स्तर पर एक चुनाव याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ राय दी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में की गई टिप्पणियों को जी. एम. में तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का अधिकार प्राप्त हुआ है। सिद्धेश्वर 1 2 मामला, जहाँ पोन्नला लक्ष्मैया 1 3 मामले से संबंधित भाग निम्नानुसार निकाला गया है:

" 43. हाल ही में, पोन्नाला में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया गया था

लक्ष्मैया और सरदार हरचरण सिंह बरार पर भरोसा

वी. सुख दर्शन सिंह, (2004) 11 एस. सी. सी. 196 यह आयोजित किया गया था: (पोन्नला लक्ष्मैया मामला एस. सी. सी. पी. 799 पैरा 22)

" 22. अन्यथा यह प्रश्न कि क्या अधिनियम की धारा 83 (1) के प्रावधान का पालन न करना चुनाव याचिका के लिए घातक है, अब सरदार हरचरण सिंह मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आलोक में एकीकृत नहीं है।

बरार वी. सुख दर्शन सिंह। उस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष एक दोषपूर्ण हलफनामे के आधार पर एक याचिका दायर की गई थी जिसके परिणामस्वरूप चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी। के खिलाफ अपील में

उक्त आदेश में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 83 के परंतुक का पालन न करने से चुनाव याचिका को उसकी धारा 86 के संदर्भ में खारिज करने का आदेश आकर्षित नहीं होता है। धारा 86

अधिनियम में इस आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने का प्रावधान नहीं है कि वह अधिनियम की धारा 83 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है। यह केवल अधिनियम की धारा 81,82 और 117 का पालन न करने के लिए एक चुनाव याचिका को खारिज करने की मंजूरी देता है। ऐसी स्थिति होने के कारण, याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे के सत्यापन में यदि कोई दोष था

घातक नहीं, चाहे धारा 83 (1) का प्रावधान कुछ भी हो

अनिवार्य रूप में "।

44. इस न्यायालय द्वारा कई बार विचार किए जाने के बाद इस मुद्दे को अब वहीं रहने दिया जाना चाहिए।

12 (ऊपर) 13 (ऊपर)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. अंत में यह तर्क दिया गया कि किसी भी मामले में हलफनामा दाखिल न करना या उचित सत्यापन दाखिल न करना एक तकनीकी दोष है जिसका इलाज किया जा सकता है और उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को उचित हलफनामा दायर करने की अनुमति देकर दोष को ठीक करने का अवसर देना चाहिए था। उक्त संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत सीमा पर चुनाव याचिका को खारिज करना आवश्यक नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ:

17. प्रत्यर्थी सं. के लिए विद्वान वकील। 1 , हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) के तहत प्रदान किए गए निर्धारित प्रपत्र 25 में एक अनिवार्य हलफनामे के गैर-अनुपालन की कोई छूट नहीं हो सकती है, विशेष रूप से जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हों। चुनाव याचिका में अपीलार्थी की याचिका प्रतिवादी नं. 26 द्वारा फॉर्म 26 के माध्यम से एक झूठे हलफनामे के जमा करने पर आधारित थी। 1 नामांकन पत्र दाखिल करने के चरण में, संपत्ति का खुलासा न करने की राशि, जो बदले में आर. पी. अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्ट प्रथा का गठन करती है। ऐसा कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया था और इस दोष को बाद के चरण में ठीक नहीं किया जा सका जैसा कि रविंदर सिंह बनाम में देखा गया है। जन्मेजा सिंह और अन्य। 1 4

18. वस्तुतः प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील का निवेदन यह था कि शपथ पत्र की अनुपस्थिति एक अलग आधार पर है।

एक दोषपूर्ण शपथ पत्र प्रस्तुत करने से, जैसा कि जी. एम. में मान्यता प्राप्त है। सिद्धेश्वर 1 मामला जिसमें यह राय दी गई थी कि आर. पी. अधिनियम की धारा 83 का पूर्ण गैर-अनुपालन ठीक नहीं किया जा सकता है। यह आग्रह किया गया था कि बाद के चरण में एक हलफनामा दायर करने की अनुमति देने से मामले को सुशोभित करने का अवसर मिलेगा और एक हलफनामे की वैधानिक आवश्यकता को विफल कर दिया जाएगा। यह आग्रह किया गया था कि प्रत्यर्थी के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति, साझेदारी के माध्यम से वाणिज्यिक संचालन से अघोषित लाभ और एक मौजूदा राज्यसभा सदस्य से धन की प्राप्ति की प्रकृति में थी। फॉर्म 25 में एक हलफनामे के माध्यम से जानकारी के किसी भी स्रोत का खुलासा किए बिना आरोप लगाए गए थे।

निष्कर्ष:

19. हमें शुरुआत से ही यह कहते हुए शुरू करना चाहिए कि आंतरिक रूप से, चुनाव कानून तकनीकी प्रकृति का है। वर्तमान मामले में, एक चुनाव

चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय के तहत आयोजित किए जाने पर हमला करने की मांग की जाती है, जहां जनता का जनादेश एक विशेष तरीके से गया है। आरोप सख्ती से मानदंडों के भीतर आने चाहिए।

14 (2000) 8 एससीसी 191

15 (ऊपर)

ए. मंजू बनाम। प्रज्जवल रेवन्ना @प्रज्जवल आर एंड ओआरएस [संजय किशन कौल, जे.]

जिस तरह से इस तरह के जनादेश को उलट दिया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा लिया गया प्राथमिक अनुरोध काफी हद तक यह है कि चुनावों में सफलता सामग्री को छिपाकर प्राप्त की गई थी, जो कि जर्मन होती। निर्वाचकों की राय निर्धारित करने में। वास्तव में, यदि ऐसी सामग्री मतदाताओं के पास उपलब्ध होती, तो उन्होंने इसके आधार पर एक और विकल्प का प्रयोग किया होता। हालाँकि, चुनाव याचिका में पूरी की जाने वाली आवश्यकताएँ तकनीकी प्रकृति की हो सकती हैं, लेकिन वे अति तकनीकी नहीं हैं, जैसा कि पोन्नला लक्ष्मैया 1 मामले में देखा गया है। हमने उपरोक्त पहलू पर विचार करते हुए उसमें की गई टिप्पणियों को उद्धृत किया है जिन्हें एक बड़ी पीठ का अधिकार प्राप्त हुआ है।

20. उपरोक्त के परिप्रेक्षय में, यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो अति-तकनीकी दृष्टिकोण को गैर-तकनीकी दृष्टिकोण के रूप में लिया जाना चाहिए।

21. इस प्रकार, हमारे सामने वास्तविक और मूल प्रश्न यह है कि प्रपत्र-26 में परिसंपत्तियों के कथित गैर-प्रकटीकरण के आरोपों को देखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 को "भ्रष्ट व्यवहार" के रूप में उद्धृत किया जा रहा है, क्या चुनाव याचिकाकर्ता के लिए फॉर्म-25 में एक हलफनामा दायर करना अनिवार्य होगा और इस तरह का हलफनामा दाखिल नहीं करने के क्या परिणाम होंगे।

22. हम मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं। रूप सिंह

राठौर 1 ने कहा कि हलफनामे के सत्यापन में दोष याचिकाकर्ता की याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है और इस तरह के हलफनामे को बाद में दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। इस संविधान पीठ के फैसले को जी. एम. में भी संदर्भित किया गया था। सिद्धेश्वर 1 8 इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) के प्रावधान का गैर-अनुपालन एक चुनाव याचिका की स्थिरता के लिए घातक नहीं था और दोष को दूर किया जा सकता था, यानी अनुपालन के अभाव में भी, याचिका को अभी भी एक चुनाव याचिका कहा जाएगा। हम यह नहीं कह सकते कि चुनाव याचिका पर समग्र रूप से विचार करते हुए उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी के आरोप केवल आर. पी. अधिनियम की धारा 33ए तक ही सीमित

नहीं थे, बल्कि इसके दायरे में बड़े थे क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के नामांकन की अनुचित प्रभाव और अनुचित स्वीकृति को भी आर. पी. अधिनियम की धारा 123 और 100 के तहत जनादेश का उल्लंघन बताया गया था।

16 (उपर्युक्त) 17 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1545: (1964) 3 एस. सी. आर. 573 18 (ऊपर)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. हालांकि, हम उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सहमत नहीं हैं कि फॉर्म 25 जमा नहीं करने से चुनाव याचिका खारिज हो जाएगी। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि, हमारे विचार में, पोन्नला लक्ष्मैया 1 9 मामले में की गई टिप्पणियाँ जो जी. एम. में तीन न्यायाधीशों की पीठ की अभेद्यता प्राप्त की है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धेश्वर 0 मामले की सही परिप्रेक्षय में सराहना नहीं की गई है। वास्तव में, जी. एम. याचिका को खारिज करने के लिए विद्वान न्यायाधीश द्वारा सिद्धेश्वर 2 1 मामले का हवाला दिया गया है। यदि हम चुनाव याचिका को देखते हैं, तो प्रार्थना खंड के बाद एक सत्यापन होता है। चुनाव याचिका के समर्थन में एक सत्यापन हलफनामा भी है। इस प्रकार, वास्तव में यह कहना उचित नहीं होगा कि याचिका के समर्थन में कोई हलफनामा नहीं है, हालांकि फॉर्म 25 में नहीं है। यह एक ठीक करने योग्य दोष था और चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश को एक अवसर देना चाहिए था

चुनाव याचिका के साथ दायर पहले से मौजूद हलफनामे के अलावा फॉर्म 25 में याचिका के समर्थन में एक हलफनामा दायर करने के लिए अपीलार्थी। वास्तव में, विद्वान न्यायाधीश, यानी पोन्नला लक्ष्मैया 22 के साथ-साथ जी. एम. द्वारा निर्दिष्ट सर्वोच्च न्यायालय के दोनों निर्णयों पर विचार।

सिद्धेश्वर 23 को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि इन तथ्यों को देखते हुए सही अनुपात अपीलार्थी को इसका इलाज करने की अनुमति देने के लिए था।

निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र दाखिल करके दोष।

24. प्रतिवादी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील की दलीलें एक हलफनामे की अनुपस्थिति और एक दोषपूर्ण हलफनामे के बीच के अंतर पर आधारित थीं। इससे पहले यह माना जाता है कि इलाज का अवसर देने के लिए, फॉर्म 25 शपथ पत्र जमा करना होगा जो दोषपूर्ण हो सकता है। यह प्रावधानों का बहुत संकीर्ण अध्ययन होगा। एक बार जब एक शपथ पत्र होता है, हालांकि फॉर्म 25 में नहीं, तो उचित तरीका होगा कि फॉर्म 25 में एक शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाए। हमे करना है। इस बात का सम्मान करें कि याचिका एक सीमा स्तर पर है। ऐसा नहीं है कि अपीलार्थी इंगित किए जाने पर भी दोष

को ठीक करने में विफल रहा है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अब प्रपत्र 25 में एक शपथ पत्र दाखिल करने से अलंकरण का अवसर मिलेगा जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आग्रह किया गया है।

19 (ऊपर) 20 (ऊपर) 21 (ऊपर) 22 (ऊपर) 23 (ऊपर)

ए. मंजू बनाम। प्रज्जवल रेवन्ना @प्रज्जवल आर एंड ओआरएस [संजय किशन कौल, जे.]

25. अपीलार्थी चुनाव याचिका में सहायक सामग्री के साथ मामले को स्पष्ट रूप से और बिना किसी अनिश्चितता के बताता है। क्या उल्लंघन है प्रत्यर्थी सं। 1 या नहीं, यह परीक्षण का विषय होगा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं होगा जिसे बंद कर दिया जाए।

26. उपरोक्त का परिणाम यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांकित 17.1.2020 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और आवेदन

प्रतिवादी सं. द्वारा दाखिल किया गया। 1 उक्त संहिता के आदेश 7 नियम 11, धारा 151 और आर. पी. अधिनियम की धारा 86 (1) के तहत अपीलार्थी को पंद्रह (15) के भीतर प्रपत्र 25 में एक उपयुक्त शपथ पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया जाएगा।

आज से दिन। चुनाव याचिका में आगे की कार्यवाही को तत्काल शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि लगभग ढाई साल मामले के मांस के बजाय प्रारंभिक झड़पों पर चले गए हैं, जो हमें यकीन है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ऐसा करेंगे।

27. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। देविका गुजराल

अपील

की अनुमति दी गई।